ऑन लाईन नं. RCMS 1998/00046

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 192/1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति रायसिख निवासी बरूवाला तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

2. जगतार सिंह पुत्र किशन सिंह जाति रायसिख निवासी बरूवाला तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता
2. श्री ईसर सिंह अधिवक्ता प्रार्थी
3. अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 27.10.2020

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि अप्रार्थी जगतार सिंह पुत्र किशन सिंह जाति रायसिंख निवासी बरूवाला ने चक बरूवाला में सरकार को धोखा देकर चक 3 बी.डब्ल्यू.एस.एम के मुरब्बा नम्बर 296/330 के 25.00 बीघा नहरी भूमि नाजायज अलॉट करवाई है जो पंजाब मे भी काफी भूमि है, वहा पर भी रहता है यहां पर भी रहता है जिस कारण रकबा खारिज हो चुका है फिर भी रकबा को हर वर्ष जमानतनामा पर लेकर काश्त करता है जो नाजायज कर रहा है। इसलिए श्रीमान उक्त रकबा की जांच करके रकबा राज्य सरकार के हित में लिया जावें ताकि सरकार को नुकसान रहा है जो बचाा जा सके। साथ ही किसी गरीब काश्तकार को अलॉट किया जावें। अतः दरखास्त पेश करके अर्ज है कि उक्त रकबा जगतार सिंह के नाम से खारिज करके जगतार सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जावें।

पत्रावली का संधारण दिनांक 23.05.1991 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा किया गया। आदेशिका दिनांक 09.06.1997 में अकन किया हुआ है कि जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 27.05.1997 से शिकायत पत्रावलीयों की सुनवाई जिला कलक्टर महोदय द्वारा की जानी है। अतः पत्रावली जिला कलक्टर महोदय को मुन्तकिल की गई। आदेशिका दिनांक 23.12.1997 द्वारा कार्य विभाजन पर पत्रावली दिनांक 11.02.1998 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के पंजीबद्व हुआ। पत्रावली जिला कलक्टर, महोदय श्रीगंगानगर से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा पंजीबद्व की जाकर पेशी में ली गई।

जिला कलक्टर ,श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 23.12.1997 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट कमांकः भू0अ0/98/2138 दिनांक 17.06. में अंकित किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चक नम्बर 3 बी.डब्ल्यू.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 296/330 में 24.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है :

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

1. जगतार सिंह पुत्र किशन सिंह कौम रायसिख साकिन बरूवाला के नाम से चक नम्बर 3 बी.डब्ल्यू.एस.एम. में भूमि आवंटन नहीं है।
2. चक नम्बर 3 बी.डब्ल्यू.एस.एम. में मुरब्बा नम्बर 296/330 में 24.10 बीघा अनकमाण्ड रकबा राज है।
3. उक्त भूमि पर जगतार सिंह का वर्ष 1986 तक नाजायज कब्जा काश्त रहा। वर्ष 1987 से राजस्व अपील अधिकारी महोदय के आदेशानुसार अप्रार्थी जगतार सिंह वल्द किशन से 250/–रूपया प्रति बीघा की दर से प्रतिवर्ष जमानत राशि जमा करवाकर अप्रार्थी के पास उपरोक्त 24.10 बीघा भूमि रहने दी जावें के अनुसार कब्जा है।
4. इस नाजायज काश्त रकबे के अलावा इसके नाम से इस चक में भूमि नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की अप्रार्थी जगतार सिंह पुत्र किशन सिंह कौम रायसिख साकिन बरूवाला पंजाब का रहने वाला हो। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के नाम चक नम्बर 3 बी.डब्ल्यू.एस.एम. में भूमि आवंटन नहीं है। अतः शिकायत सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत का मुख्य बिन्दु रहा है कि अप्रार्थी जगतार सिंह पुत्र किशन सिंह कौम रायसिख साकिन बरूवाला पंजाब का निवासी है जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो अप्रार्थी पंजाब का रहने वाला हो। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी जगतार सिंह पुत्र किशन सिंह कौम रायसिख साकिन बरूवाला के नाम से चक नम्बर 3 बी.डब्ल्यू.एस.एम. में भूमि आवंटन नहीं है। चक नम्बर 3 बी.डब्ल्यू.एस.एम. में मुरब्बा नम्बर 296/330 में 24.10 बीघा अनकमाण्ड रकबा राज है। उक्त भूमि पर जगतार सिंह का वर्ष 1986 तक नाजायज कब्जा काश्त रहा। वर्ष 1987 से राजस्व अपील अधिकारी महोदय के आदेशानुसार अप्रार्थी जगतार सिंह वल्द किशन से 250/–रूपया प्रति बीघा की दर से प्रतिवर्ष जमानत राशि जमा करवाकर अप्रार्थी के पास उपरोक्त 24.10 बीघा भूमि रहने दी जावें के अनुसार कब्जा है। शिकायत में अंकित भूमि अप्रार्थी जगतार सिंह पुत्र किशन सिंह कौम रायसिख साकिन बरूवाला के नाम से आवंटित नहीं होने से शिकायत में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)